आदेश

क्रमांकःरा.नि.आ./2एम.ई./2024/ **519** :– नगरनिकायों के आम चुनाव दिनांक 19.06.2022 को सम्पन्न हुये थे और जिनका चुनाव परिणाम दिनांक 22.06.2022 को घोषित किया गया, जिसमें श्री रामभरोसे पुत्र श्री देबूदास पार्षद, वार्ड नम्बर–14, नगरपालिका, सफीदो जिला जीन्द से निर्वाचित घोषित हुए।

2. श्री अजीत कुमार पुत्र श्री बलवान सिंह निवासी वार्ड नं0 14, सफीदों, तहसील सफीदों, जिला जीन्द द्वारा दिनांक 30.09.2022 को एक शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग में भेजी गई थी, जिसमें उसने श्री रामभरोसे पुत्र देबूदास निर्वाचित पार्षद, वार्ड नं014, नगरपालिका सफीदो, तहसील सफीदो जिला जीन्द के विरूद्ध फर्जी 'तांती जाति' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव जीतने बारे आरोप लगाया तथा उसकी सदस्यता रद्द की जाने की मांग की। उसने यह भी मांग की कि श्री रामभरोसे पुत्र श्री देबूदास के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाये। यह शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा में दिनांक 03.10.2022 को प्राप्त हुई। शिकायत के साथ शिकायतकर्ता द्वारा आर. टी.आई अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना जो कि गुरू गोबिन्द सिंह वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल से और तहसीलदार, सफीदो द्वारा आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति से सम्बन्धित थी, उपलब्ध करवाई गई सूचना से सम्बन्धित दस्तावेज भी लगाये गये थे। यह शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के पत्र कमांक रा.नि.आ./2एम.ई./2022/6795, दिनांक 10.10.2022 द्वारा उपायुक्त, जीन्द को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई थी कि मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें और की गई कार्यवाही से सम्बन्धित प्रार्थी को भी अवगत करवाया जाये। श्री अजीत कुमार पुत्र श्री बलवान सिंह निवासी वार्ड नं0 14, सफीदों, तहसील सफीदों, जिला जीन्द की शिकायत दिनांक शुन्य श्री राम भरोसे के विरूद्ध फर्जी अनुसूचित जाति से सम्बन्धित पुनः आयोग को प्राप्त हुई थी और राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के पत्र कमांक रा.नि.आ./2एम.ई./2022/6990, दिनांक 06.12.2022 द्वारा उपायुक्त, जीन्द को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई थी कि मामले में जांच अतिरिक्त उपायुक्त, जीन्द/ किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाकर जांच रिपोर्ट 15 दिनों के अन्दर –अन्दर राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा को भिजवाने का कष्ट करें। उपरोक्त पत्र की प्रति शिकायतकर्ता को भी सूचनार्थ प्रेषित की गई थी।

3. सचिव, नगरपालिका, सफीदों के यादी कमांक एम.सी.एस./658, दिनांक 05.04.2023 द्वारा आयोग को सूचित किया गया कि उक्त जाति प्रमाण पत्र बारे माननीय सिविल कोर्ट, सफीदों में सिविल सूट नं0 63/2023–रामभरोसे बनाम हरियाणा सरकार व अन्य नामक केस विचाराधीन है और माननीय न्यायालय द्वारा जाति प्रमाण पत्र बारे निर्णय देने उपरान्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

4. उपायुक्त, जीन्द ने अपने यादी क्रमांक 204/एल.एफ.ए., दिनांक 13.03.2024 द्वारा उपमण्डल अधिकारी (ना), सफीदो की जांच रिपोर्ट पर अपनी सहमति प्रकट करते हुये जांच रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा को प्रेषित की गई, जिसमें उपमण्डल अधिकारी (ना), सफीदो को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया और उपमण्डल अधिकारी (ना), सफीदो ने अपनी जांच रिपोर्ट यादी क्रमांक

417/स्टैनों, दिनांक 28.02.2024 में निम्नलिखित वर्णित किया गया है, जिसका मुख्य भाग निम्न प्रकार से है :–

> “निष्कर्षः– अधोहस्ताक्षरी ने सचिव, नगरपालिका, सफीदों की जांच रिपोर्ट का भली–भांति अवलोकन कर लिया है। सचिव, नगरपालिका, सफीदो की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि सचिव, नगरपालिका, सफीदों की रिपोर्ट अनुसार श्री राशवेन्द्र सिंह दूहन, नायब तहसीलदार, सफीदों द्वारा श्री रामभरोसे पार्षद वार्ड नं0 14, सफीदों के धानक जाति के अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नम्बर 361/एस.सी. दिनांक 14.06.2007 को दिनांक 24.11.2023 को निरस्त कर दिया गया है।”

5. उपमण्डल अधिकारी (ना), सफीदो ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया है कि माननीय न्यायालय, सफीदों द्वारा सिविल सूट क्रमांक 63/2023–रामभरोसे बनाम हरियाणा सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.12.2023 को “Dismissed as withdrawn with permission to file fresh” जिसके उपरान्त श्री रामभरोसे को उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अपील/दावा किसी भी न्यायालय में दायर किया गया है या नहीं बारे सूचना दिनांक 03.02.2024 तक नगरपालिका, सफीदों कार्यालय में उपलब्ध करवाने के लिये लिखा गया था। लेकिन श्री रामभरोसे द्वारा दिनांक 09.02.2024 तक किसी में न्यायालय में किसी प्रकार की अपील/दावा बारे समन/पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

6. हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1978 की धारा 13 I and 13A(1) & (3) तथा हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 21(1) (b) में निम्नलिखित प्रावधान है, जो कि निम्न प्रकार से हैः–

HARYANA MUNICIPAL ACT, 1973

13 I. Removal of an elected President and Member having any disqualification at the time of election:- The State Election Commission may, after such enquiry, as it may deem fit and after giving an opportunity of being heard, by an order, remove the President or a member, if he was having any disqualification mentioned in section **13A** or rules framed under this Act at the time of his election. The office of the President or member so disqualified shall become vacant immediately.

13A. Disqualifications for President and Members.-(1) A person shall be disqualified for being chosen as and for being President or a member of a municipality.

(3) If any person furnishes a false caste certificate at the time of filing nomination, he shall be disqualified for a period of six years from contesting the election to the municipality.”

HARYANA MUNICIPAL ELECTION RULES, 1978

21. Disqualification for membership- (1) No person shall be eligible for election as a President / member of a committee, who-